1704

संख्या– /62–2–2010–2/3(110)/2009टी0सी0

प्रेषक,

सुशील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 25 मई, 2010

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक के ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष–15 के अन्तर्गत स्वीकृत सामुदायिक ब्लास्टकूपों के निर्माण/जीर्णोद्धार *की नई योजना के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश।*

महोदय,

प्रदेश में आठ जनपदों के 39 विकास खण्ड पठारी/अर्द्धपठारी *(राकी/सेमी राकी)* है। इन विकास खण्डों में सामान्यतः नलकूप सफल नहीं होते है और कृषको को ब्लास्ट कूपों पर निर्भर रहना पड़ता है। एक ब्लास्ट कूप की लागत अत्यधिक होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के कृषक इन कूपों का निर्माण अपने संसाधनों से नहीं कर पाते है और सिंचाई सुविधाओं से वंचित रहते है। इसके दृष्टिगत विभाग द्वारा 39 पठारी/अर्द्धपठारी विकास खण्डों में सामुदायिक ब्लास्ट कूपों के निर्माण की रू0 34 127.43 लाख की योजना तैयार कर व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के उपरान्त राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष (आर.आई.डी.एफ.) से वित्त पोषण हेतु नाबार्ड को प्रस्तुत की गयी। नाबार्ड द्वारा योजना की कुल लागत रू0 34 127.44 लाख स्वीकृत की गयी है जिसमें रू0 32 421.11 लाख नाबार्ड का अंश (नाबार्ड से ऋण) तथा रू0 1706.33 लाख राज्य सरकार का अंश है।

सामुदायिक ब्लास्ट कूपों के निर्माण/जीर्णोद्धार की योजना का कियान्वयन निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा –

1– योजना का उद्देश्य

(1) प्रस्तावित क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचन क्षमता में वृद्धि करना।

(2) ग्रीष्म ऋतु में सीमित सिंचाई के साथ अन्य आवश्यकताओं हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

(3) सामुदायिक ब्लास्ट कूपों के निर्माण/जीर्णोद्धार करने हेतु सामुदायिक–भागीदारी की स्थापना।

(4) गरीबी उन्मूलन हेतु उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्रों के कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जाना।

2- योजना का प्रस्तावित क्षेत्र कार्य लाभ एवं कुल लागत

योजना का कियान्वयन सम्बन्धित जनपद के पठारी क्षेत्रों, जहाँ स्ट्रेटा अत्यन्त कठिन एवं नलकूप निर्माण के लिए अनुपयुक्त है एवं भूमि की जल रिसाव क्षमता अत्यन्त कम है, में प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत बड़े व्यास के ब्लास्ट कूपों का निर्माण तथा पूर्व से उपलब्ध कूपों का जीर्णोद्धार किया जाना है। योजना में जनपदवार भौतिक लक्ष्य निम्नवत है-

क0 सं0	जनपद का नाम	प्रस्तावित विकासखण्डों का नाम	सा0ब्लास्ट कूप का निर्माण	सा0 ब्लास्ट कूपों का जीर्णोद्वार	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	झाँसी	बबीना,बड़ागांव,बंगरा, मऊ रानीपुर, गुरसराय, बामौर	600	600	1200
2	ललितपुर	बिरघा,तालबेहट,महरौनी, जखौरा,मडावरा,बार	600	600	1200
3.	चित्रकूट	मऊ,मानिकपुर,कर्वी	300	300	600
4.	महोबा	जैतपुर,कबरई,चरखारी, पनवारी	300	300	600
5.	इलाहाबाद	शंकरगढ़,माण्डा,मेजा, कुरांव,जसरा	800	800	1600
6.	मिर्जापुर	ललगंज,मड़िहान,राजगढ़ हलिया,पहाड़ी	500	500	1000
7.	सोनभद्र	राबर्टसगंज, नगवां, घोरावल, दुल्दी, बम्हनी, चोपन, चतरा, म्योरपुर	800	800	1600
8.	चन्दौली	नौगढ़, चकिया	200	200	400
	योग	39	4100	4100	8200

योजना क्रियान्वयन के पश्चात प्रत्येक ब्लास्ट कूप से लगभग 3 हेक्टेयर की सिंचाई हो सकेगी तथा पूरी योजना से 24600 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन में सहायता, जीवन स्तर में सुधार तथा पठारी क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में मजदूरों के पलायन रोकने में सफलता मिलेगी। योजनान्तर्गत पानी की बचत एवं अतिरिक्त उत्पादन हेतु रेनगन/स्प्रिंकलर सेट का भी प्राविधान किया गया है। योजना के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन

हेतु ट्रेनिंग एवं क्षमता निर्माण का भी कार्य है। प्रोजेक्ट का लागत लाभ अनुपात 1:3.60 आकलित किया गया है।

प्रस्तावित योजना की कुल लागत का मदवार विवरण निम्नवत् है:-

1-	8200 सामुदायिक ब्लास्ट कूपों के निर्माण/जीर्णोद्धार की लागत निर्माण		
	(अ) 4100 सामुदायिक ब्लास्ट कूप निर्माण लागत	रू0 लाख	20090.00
	(ब) 4100 सामुदायिक ब्लास्ट कूपों के जीर्णोद्धार लागत	रू0	7999.10 लाख
2-	8200 रेनगन/स्प्रिंकलर सेट स्थापना में अनुदान	रू0	5330.00 लाख
3-	जियोफिजिकल सर्वेक्षण (स्थल चयन) की लागत	रू0	123.00 लाख
4-	सामुदायिक क्षमता सम्वर्धन की (ट्रेनिंग) लागत	रू0	164.00 लाख
5-	वर्ष 2012-13 हेतु 5 प्रतिशत लागत	रू0	421.33 लाख
	योग-	रू0	34127.43 लाख

3- वित्तीय व्यवस्था

नाबार्ड के ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की गाइड लाइन्स के अनुसार स्वीकृत प्रोजेक्ट की लागत का 95 प्रतिशत धनराशि नाबार्ड द्वारा ऋण के रूप में तथा 05 प्रतिशत धनराशि राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। इस प्रकार योजना की कुल निर्धारित लागत रू0 34127.44 लाख में रू0 32421.11 लाख नाबार्ड का अंश तथा रू0 1706.33 लाख राज्य सरकार का अंश होगा।

4- प्रोजेक्ट अवधि एवं वर्षवार कार्यो का विवरण

प्रोजेक्ट की प्रस्तावित अवधि तीन वर्षो (वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक) की है। वर्षवार कार्यो का विवरण निम्नवत् है:-

क0 सं0	वित्तीय वर्ष	नये ब्लास्ट कूपों का निर्माण	पुराने ब्लास्ट कूपों का जीर्णोद्धार
1-	2010-11	1313	1392
2-	2011-12	1313	1392
3-	2012-13	1474	1316
	योग	4100	4100

5- अनुदान

योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित अनुदान निम्नवत है:-

(अ) योजना के अन्तर्गत गठित उपभोक्ता जल समूहों हेतु सामुदायिक ब्लास्टकूप का निर्माण/जीर्णोद्धार शतप्रतिशत शासकीय व्यय पर लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया जायेगा।

(ब) स्प्रिंकलर/रेनगन सेट स्थापित करने हेतु दिये जाने वाले अनुदान के संबंध में अलग से निर्णय लेकर आदेश निर्गत किये जायेंगे।

6- प्रोजेक्ट का कियान्वयन

योजना प्रोजेक्ट का कियान्वयन लघु सिंचाई विभाग द्वारा जल उपभोक्ता समूह, ग्राम पंचायत तथा भूगर्भ जल विभाग के सहयोग से किया जायेगा। योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में व्यवस्था निम्नवत् है:-

(I) जल उपभोक्ता समूहों का गठन

पथरीले जनपदों के पठारी क्षेत्रों में जहां पर जल की उपलब्धता कम तथा संसाधन निर्माण लागत बहुत अधिक है, जल उपभोक्ता समूहों को सामुदायिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना के पूर्ण होने के पश्चात इसका रखरखाव जल उपभोक्ता समूह द्वारा किया जायेगा। सामुदायिक ब्लास्ट कूप निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु जल उपभोक्ता समूहों का गठन निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा:-

(1) एक समूह में न्यूनतम 5 सदस्य होंगे जो कृषि से जुड़े हों।

(2) सभी सदस्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषक होंगे। यदि गरीबी रेखा से नीचे लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषक उपलब्ध नहीं होते हैं तो वी0पी0एल0 श्रेणी की बाध्यता को शिथिल करते हुए समूह का गठन किया जाय।

(3) उपभोक्ता समूह के सभी सदस्य एक ही परिवार के नही होंगे।

(4) (अ) सामान्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित समूह में न्यूनतम 2 सदस्य (लाभार्थी) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए।

(ब) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रस्तावित समूह में न्यूनतम 51 प्रतिशत या उससे अधिक लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति के होगें।

(5) जल उपभोक्ता समूह के चयन हेतु ग्राम पंचायत की खुली बैठक बुलाई जायेगी तथा बैठक में ही सामुदायिक ब्लास्ट कूप निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु उपभोक्ता समूह का चयन किया जायेगा।

(6) प्रस्तावित सामुदायिक ब्लास्ट कूपों के निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु समूह के किसी एक सदस्य द्वारा कमाण्ड क्षेत्र में निःशुल्क भूमि/कूप उपलब्ध कराया जायेगा। भूमि/कूप के स्वामी द्वारा भूमि/कूप को समूह के पक्ष में वैध शपथ पत्र द्वारा निःशुल्क हस्तान्तरित करना होगा तथा ब्लास्ट कूपों के निर्माण/जीर्णोद्धार के उपरान्त कूप का स्वामित्व समूह का होगा न कि किसी व्यक्ति विशेष का।

(7) प्रस्तावित भूमि/कूप में सामुदायिक ब्लास्ट कूप का निर्माण/जीर्णोद्धार उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकृत विभाग से भूगर्भ जल उपलब्धता की उपयुक्त रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात ही किया जायेगा। यदि सर्वेक्षण में उपयुक्त रिपोर्ट नहीं पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में सामुदायिक ब्लास्ट कूप निर्माण/जीर्णोद्धार प्रस्ताव निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित समूह को तद्नुसार सूचित किया जायेगा।

(8) समूह के सुचारू रूप से संचालन हेतु समूह द्वारा उपविधियॉ (Bye laws) निर्धारित कर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा तथा उपविधियों के अनुसार समूह द्वारा अपना एक अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चयन किया जायेगा और बैंक में नियमानुसार एक संयुक्त खाता नियमित लेनदेन हेतु खोला जायेगा। बैंक खाता अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा। इस खाते का उपयोग बीज, खाद, कीटनाशक, ईधन के कय एवं कूप तथा सिंचाई सिस्टम के रख-रखाव, समूह में आन्तरिक लेने-देन आदि हेतु किया जायेगा।

(9) उपभोक्ता समूह द्वारा उपविधियों का अंकन एक रजिस्टर में करना होगा सामुदायिक ब्लास्ट कूप के निर्माण/जीर्णोद्धार के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णयों के लिए समूह द्वारा मासिक एवं वार्षिक बैठक आयोजित की जायेगी उसकी कार्यवाही रजिस्टर में अंकित की जायेगी।

(10) समूह द्वारा प्रधान, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता में प्रगति प्रस्तुत करने हेतु एक वार्षिक सामान्य बैठक आहूत की जायेगी जिसमें प्रगति प्रस्तुत की जायेगी।

सूचित करते हुए उपभोक्ता समूह को हस्तान्तरित किया जायेगा।

(5) ब्लास्ट कूप निर्माण/जीर्णोद्धार की अवधि के अन्तर्गत विभाग द्वारा उपभोक्ता समूहों को क्षमता विकास से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षित किया जायेगा।

(iv) संचालन एवं रखरखाव

योजना पूर्ण होने के पश्चात सामुदायिक ब्लास्ट कूप उपभोक्ता समूह को हस्तान्तरित कर दिये जायेंगे जिनका संचालन एवं रखरखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व जल उपभोक्ता समूहों द्वारा वहन किया जाएगा।

(v) अनुश्रवण

प्रोजेक्ट की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु निम्नानुसार व्यवस्था है:-

(1) राज्य स्तर

राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति (SPIMC) का निम्नानुसार गठन किया जायेगा।

1–	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2–	प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई	संयोजक
3–	सम्बन्धित मण्डलायुक्त	सदस्य
4–	मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई	सदस्य
5–	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई	सदस्य
6–	निदेशक, कृषि विभाग	सदस्य
7–	निदेशक, भूगर्भ जल विभाग	सदस्य

(2) मण्डल स्तर

मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय प्रोजेक्ट कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति (DPIMC) का गठन किया जायेगा।

1–	सम्बन्धित मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2–	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई	संयोजक
3–	जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4–	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	सदस्य
5–	संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग	सदस्य
6–	सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता / खण्डीय अधिकारी भूगर्भ जल विभाग	सदस्य

(3) जनपद स्तर

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय प्रोजेक्ट कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति (DLPIMC) का गठन किया जायेगा।

1–	जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2–	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	संयोजक
3–	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	सदस्य
4–	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य

(11) जल उपभोक्ता समूह, कार्यो की प्रगति की समीक्षा करेगा। यदि प्रगति असन्तोषजनक पायी जाती है तो प्रगति में संतोषजनक सुधार हेतु सम्बन्धित जनपदों के सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई अथवा मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी से सम्पर्क करेगा।

(ii) प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास

जल उपभोक्ता समूह की क्षमता विकास जिसमें फसलों की जानकारी, फसलचक्र, जल आवश्यकता, कीट नाशक एवं खादों का प्रयोग, उत्पाद का विपणन लेखा का रखरखाव तथा कूप एवं पम्पसेट व स्प्रिंकलर सिस्टम के प्रयोग तथा रखरखाव के सम्बन्ध में 3 दिवसीय प्रशिक्षण का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त कियान्वयन से सम्बन्धित विभाग के अवर अभियन्ताओं को भी प्रशिक्षित किये जाने का प्राविधान किया गया है।

(iii) ब्लास्ट कूपों के निर्माण/जीर्णोद्धार की प्रकिया

ब्लास्ट कूपों के निर्माण/जीर्णोद्धार की प्रकिया निम्नवत् है:-

(1) लघु सिंचाई विभाग द्वारा योजना क्षेत्र का भूगर्भ जल विभाग की सहायता से विस्तृत सर्वेक्षण कराने के उपरान्त ब्लास्टकूप निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु उपयुक्त स्थलों का चिन्हांकन किया जायेगा, यदि भूगर्भ जल विभाग द्वारा ब्लास्टकूप हेतु सर्वेक्षण का कार्य करने में असमर्थतता बताई जाती है तो भूजल सर्वेक्षण का कार्य सुसंगत आदेशों, वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं वित्तीय नियमों के तहत निजी संस्थाओं से निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कराई जाय।

(2) विभाग द्वारा ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन समिति की सहायता से जल उपभोक्ता समूहों का गठन किया जायेगा। इसमें एस0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत पूर्व गठित समूहों को भी चयनित किया जा सकता है।

(3) जल उपभोक्ता समूह कूप निर्माण स्थल को चिन्हित कर जये कूप निर्माण के लिए आवश्यक भूमि निःशुल्क लघु सिंचाई विभाग को उपलब्ध करायेगा तथा उपभोक्ता समूहों द्वारा अर्जित/एकत्रित धनराशि से संसाधनों के संचालन एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व निर्वहन करने के लिए 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिखित अनुबन्ध कर प्रस्तुत करेगा। पुराने कूप के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में उपभोक्ता समूह, कूप धारक जिसका अनिवार्य रूप से सदस्य होगा पुराने कूप को जीर्णोद्धार के लिए उपलब्ध करायेगा। उपभोक्ता समूह के अन्तर्गत विवाद की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा कूप एवं सम्बन्धित संसाधनों को अधिग्रहण कर लिया जायेगा।

(4) उपभोक्ता समूह, पंचायत एवं लघु सिंचाई विभाग के लिखित अनुबन्ध के उपरान्त ब्लास्ट कूप निर्माण/जीर्णोद्धार का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा और पूर्ण होने के उपरान्त पंचायत को

5— सहायक हाइड्रोलाजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग सदस्य

(4) ग्राम स्तर

ग्राम स्तर पर ग्राम स्तरीय प्रोजेक्ट कोआर्डिनेशन समिति (VPCC) का निम्न प्रकार गठन किया जायेगा:—

1— प्रधान, ग्राम पंचायत अध्यक्ष

2— अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई संयोजक

3— बहुउद्देशीय कार्यकर्ता सदस्य

4— जल उपभोक्ता समूह के 5 प्रतिनिधि सदस्य

5— जल उपभोक्ता समूह के परिवार की 2 महिला प्रतिनिधि सदस्य

उक्त सभी समितियां कार्य की प्रगति की समीक्षा करेगीं तथा प्रोजेक्ट कियान्वयन हेतु आवश्यक सुझाव देंगी।

2— उपर्युक्त दिशा—निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
प्रमुख सचिव।

सं0:— 1704 (1)/62—2—2010,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2— महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

3— संबंधित मण्डलायुक्त, उ0 प्र0।

4— संबंधित जिलाधिकारी, उ0 प्र0।

5— समस्त अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0।

6— संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास/जिला विकास अधिकारी) उ0 प्र0।

7— निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।

8— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0 प्र0।

9— राज्य योजना आयोग अनुभाग—3, उ0 प्र0 शासन।

10— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—2/3

11— वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2

12— निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मुख्य मंत्री, (श्री जमील अख्तर)।

13— विषय विशेषज्ञ, निदेशक (प्रशिक्षण), लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।

14— बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

15— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

25/5/10

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।